कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः— श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :— **सर्वश्री राज ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, डी—13, सरोजनी नगर,इण्डस्टियल एरिया लखनऊ**

प्रा0प0सं0— **424 / 2008**

प्रार्थी की ओर से— **श्री नीलमणि वार्ष्णेय, सचिव ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा—59 के अर्न्तगतनिर्णय

।— प्रार्थी के द्वारा दिनांक 15—।2—2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा—59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा हस्त निर्मित पेपर, हस्त निर्मित कागज बोर्ड के निर्माण एवं बिक्री का कार्य किया जाता है। हस्त निर्मित पेपर के निर्माण के पश्चात व्यापारी द्वारा बताया गया कि फाइल कवर का निर्माण करते है तथा फाइल कवर पर विभाग का नाम प्रिन्ट करके बिक्री की जाती है। अतः व्यापारी द्वारा पिन्टेड फाइल कवर पर भी हस्त निर्मित कागज बोर्ड तथा हस्त निर्मित कैडक एवं उसके उत्पाद पर करदेयता की जानकारी चाही गयी है ।

2— व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड—। वाणिज्य कर, लखनऊ जोन, लखनऊ द्वारा डिप्टी कमिश्नर, खण्ड—9, 10, 11 लखनऊ से प्राप्त आख्या पत्र संख्या—3491दिनांक 9—।—09 द्वारा प्रेषित की गयी है। उनके अनुसार व्यापारी द्वारा रुप पत्र 24 में सादे हैंड मेड पेपर पर प्रिन्ट होने के पश्चात वह प्रिन्टेड मैटेरियल हो जाता है हलांकि दिनांक 29—9—08 के पश्चात हैन्ड मेड पेपर करमुक्त है तथा व्यापारी द्वारा हैन्ड मेड पेपर के बजाय प्रिन्टेड फाइल कवर की बिक्री की जाती है जो 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य है । इसी तरह व्यापारी द्वारा हैन्ड मेड पेपर से जो निर्मित वस्तुओं का निर्माण कर बिक्री की जाती है वह भी हैन्ड मेड पेपर से भिन्न है तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 में शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या— उ0नि0—2—2758 / ग्यारह—9(9) / 08—उ0प्र0अधि—क—2008—आदेश (29)2008 दिनांक 29—9—2008 की संशोधित कर अधिनियम की अनुसुची—। के क्रमांक—48 की प्रविष्टि के अन्तर्गत करमुक्त की श्रेणी में नहीं आयेगे।

3— धारा—59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री नीलमणि वार्ष्णेय, सचिव उपस्थित हुयें और उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया । उनके द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 में शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या— उ0नि0—2—2758 / ग्यारह—9(9) / 08—उ0प्र0अधि—क—2008—आदेश (29)2008 दिनांक 29—9—2008 की संशोधित कर अधिनियम की अनुसुची—। के क्रमांक—48 की प्रविष्टि में हस्तनिर्मित कागज को करमुक्त कर दिया गया है तथा बताया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 द्वारा जारी अनुसुची—2 के भाग—क की प्रविष्टि संख्या—100 के अनुसार प्रिन्टेड मैटेरियल पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। उक्त दोनों प्रविष्टियॉ निम्नवत् है :—

48	Handlooms durries;hand-woven tat-patti,gudri;Hand made woolen and hand made silk carpets and hand made paper.
100	Printed materials including diary and calendar.

4— मेरे द्वारा व्यापारी के धारा—59 के प्रार्थना पत्र, प्राप्त विभागीय आख्या एवं व्यापारी द्वारा प्रस्तुत तर्को का परीक्षण किया गया तथा पाया गया कि व्यापारी द्वारा निर्मित फाइल कवर

क्रमशः 2 पर /

सर्वश्री राज ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, डी–13, सरोजनी नगर, इण्डस्टियल एरिया, लखनऊ
<u>प्रा0प0सं0– 424 / 2008</u>

प्रिन्टेडमैटेरियल होने के कारण उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 द्वारा जारी अनुसुची–2 के भाग–क की प्रविष्टि संख्या–100 के अन्तर्गत करयोग्य होगी तथा हैन्ड मेड पेपर से निर्मित उत्पाद भी हैन्ड मेड पेपर की श्रेणी में न आने के कारण, अवगीकृत होने के कारण अनुसुची–5 के अन्तर्गत करयोग्य होगी ।

5– प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा–59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6– इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

ह0 / 10–2–09

दिनांकः 10 फरवरी, 2009

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।